



Haryana Government Gazette

Published by Authority

© Government of Haryana

No. 32-2020] CHANDIGARH, TUESDAY, AUGUST 11, 2020 (SRAVANA 20, 1942 SAKA)

PART-I

Notifications, Orders and Declarations by Haryana Government

हरियाणा सरकार

विद्युत विभाग

अधिसूचना

दिनांक 11 मई, 2020

संख्या 88/REG-253/Vol-IV.— विद्युत प्रदाय अधिनियम, 1948 की धारा 79 (सी) में निहित प्रावधानों की अनुपालना में दिनांक 15.03.1984 से 13.08.1998 तक यथा लागू तथा हरियाणा विद्युत सुधार अधिनियम, 1997 (1998 की हरियाणा अधिनियम संख्या 10) की धारा 56 (vi) में निहित प्रावधानों के साथ पठित, हरियाणा के राज्यपाल कार्यालय आदेश की तिथि से तत्कालीन हरियाणा राज्य बिजली बोर्ड की अधिसूचना संख्या 50/आरईजी-144 दिनांक 16.01.1990 के तहत जारी अधीक्षक अभियंता/सी.सी. तथा अपने अधीनस्थ अधिकारियों को वित्तीय शक्तियों का विस्तार करते हैं:—

विद्युत (प्रदाय) अधिनियम, 1948 की धारा-79 के खण्ड (सी) द्वारा प्रदत्त शक्तियों तथा इस संबंध में अन्य सभी सक्षम शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा राज्य बिजली बोर्ड, कार्यालय आदेश संख्या 35/जीबी-बी-17 दिनांक 29.05.1986 (संदर्भ हेतु प्रति संलग्न) में यथा परिकल्पित इन्हीं शर्तों पर अधीक्षण अभियंता/सी.सी. तथा अपने अधीनस्थ अधिकारियों को वित्तीय शक्तियों का विस्तार करता है:—

ये संशोधन 16.01.1990 अर्थात् कार्यालय आदेश जारी होने की वास्तविक तिथि से लागू माने जाएंगे।

चण्डीगढ़:
दिनांक 11 मई, 2020.

टी० सी० गुप्ता,
अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
विद्युत विभाग।

HARYANA GOVERNMENT**POWER DEPARTMENT****Notification**

The 11th May, 2020

No. 88/REG-253/Vol-IV.— In compliance with provisions contained in section 79(c) of Electricity Supply Act, 1948 as applicable w.e.f. 15.03.1984 to 13.08.1998 and read with provisions contained in section 56 (vi) of Haryana Electricity Reform Act, 1997 (Haryana Act No. 10 of 1998), the Governor of Haryana is pleased to extend the financial powers to the Superintendent Engineer/ CC and his subordinate officers issued by erstwhile HSEB *vide* notification No. 50/REG-144 dated 16.01.1990 w.e.f. date of office order:-

In exercise of powers conferred under Clause (c) of Section-79 of the Electricity (Supply) Act, 1948 and all other enabling powers in this behalf, the Haryana State Electricity Board is pleased to extend the financial powers to the Superintendent Engineer/ CC and his subordinate officers, as envisaged in office order No. 35/GB-B-17 dated 29.05.1986 (copy enclosed for ready reference) on the same terms and conditions.

These amendments are deemed to have come into force with effect from 16.01.1990 i.e. actual date of issuance of office order.

Chandigarh:
The 11th May, 2020.

T. C. GUPTA,
Additional Chief Secretary to Government Haryana,
Power Department.